वान्ता

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

12.11.20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित थे। प्रकरण का अवलोकन किया। वादी के वादपत्र के तथ्य, वांछित अनुतोष, जवाब प्रतिवादीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, एवं बहस विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष पर सम्यक विचार किया गया।

वादी द्वारा वादपत्र U/S 88-89-53-188 R.T. Act 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को ग्राम धाकपुरा की कृषि आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 1.89 हे. हि. ½ का खातेदार दर्ज किया जावे, उक्त कृषि का ½ का विभाजन किया जाकर जमाबन्दी राज में पृथक दर्ज किया जावे। साथ ही स्थाई आदेश का अनुतोष चाहा गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी का कथन है, कि पूर्व में ग्राम धाकड़पुरा की भूमि खसरा नं. 108 रकबा 99 1/4 राधाकिशन, केवलराम पुत्र रामसुख लोधा के नाम दर्ज थी। प्रति० मृतक राधाकिशन के वारिसान थे। उक्त भूमि अकेले प्रति० के नाम बाद बन्दोबस्त दर्ज कर दी थी। जबकि वादी भी हिस्सा 1/2 का खातेदार है।

जवाब में प्रति० का कथन है, कि पूर्व में खसरा नम्बर 108 के अलावा 105, व 107 की भूमि भी सहखातेदारी में दर्ज रही थी। ख. नं. 105 व 107 की भूमि वादी द्वारा बेचान कर दी थी यह वादी बतावे कि उसने रामसिंह ओमप्रकाश, सुरेन्द्रसिंह पि० जमनालाल किराड़ को रजि० सेल डीड से कैसे बेची है। इस प्रकार ख. नं. 108 की भूमि प्रति० के खाते व अकेले कास्त की भूमि है, जिस पर वादी का कोई हक नहीं है।

जवाब उपरान्त तनकियां कायम की जाकर साक्ष्य ली गई। वादी साक्ष्य निम्न दस्तावेज पेश किये गये।

(1) नकल जमाबंदी धाकड़पुरा 2068-71 खाता नम्बर 69 प्रदर्श-1
(2) नकल कर्व मिलान ग्राम धाकड़पुरा - प्रदर्श-2
(3) नकल जमाबंदी ग्राम धाकड़पुरा 2051-54 खाता नम्बर 116 प्रदर्श-3
(4) शपथपत्र कृष्णगोपाल प्रदर्श PW-1
(5) शपथपत्र गजानन्द

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तनकी नं० 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा शपथ पत्र के अतिरिक्त प्रदर्श-3 प्रस्तुत किया। उक्त प्रदर्श अनुसार साबिक खसरा नम्बर 105, 106, 108 की भूमि किता 3 रकबा 23/4 सवाकिनान व गंगाराम पुत्र रामसुख जोशी के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। बाद बन्दोबस्त साबिक खस० नं० 108 रकबा 11/4 के हाल खसरा नम्बर 108 रकबा 1.89 है० हस्व प्रदर्श-2 पैमूद किये गये है। हस्व प्रदर्श-1 उक्त हाल खसरा नम्बर 108 रकबा 1.89 है० सवाकिनान के वारिसान के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 105 व 106 रकबा 11/1 भूमि वादी के हिस्से की थी, जिसे वह बेचान कर चुका है, अब हाल खस० नं० 108 जो साबिक 108 से ही बनाया गया है, वह प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जे की भूमि थी। प्रदर्श-3 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि साबिक खसरा नं० 108 का रकबा 11/4 तथा साबिक 105 व 106 का रकबा 11/1 रहा है, जो करीब-करीब समान है। वादी द्वारा उक्त खस० नं० 105 व 106 को छोड़कर महज

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नं० १०८ पर ही बाद पेश किया है, जो पूर्व खातेदारी की भूमि का आधा हिस्सा है। हालांकि प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया किन्तु वादी द्वारा खसरा नम्बर १०५ व १०६ की भूमि के बारे में किसी प्रकार का विवरण व तथ्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकरण में सम्पूर्ण रूप से शंकाविहीन अवस्था प्रकट नहीं करता है। जवाब में अंकित आक्षेप का वादी द्वारा कोई निवारण का प्रयास नहीं किया है। वादी के गवाह गजानंद व कृष्णगोपाल भी इस तथ्य से इन्कार नहीं करते कि खसरा नम्बर 105 व 107 की भूमि उसके द्वारा या उसके पिता द्वारा नहीं बेची है। प्रकरण में तालिक खसरा नं० 105 व 107 के हाल खसरा नम्बर कौन से पैमूद किये तथा वह भूमि किसके नाम दर्ज है? कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में वादी के भाई चांदीलाल का स्वर्गवास होना जाहिर किया गया है, तथा उसके वारिसान का भी हवाला दिया मगर फिर भी वारसान भूमि के अतिरिक्त अन्य खातेदारी की भूमि के बारे में मौन रहना शंका निवारण नहीं करता। प्रकरण में सम्पूर्ण दस्तावेज बयान गवाह आदि पर सम्यक विचारोपरान्त यह तनकी विपक्ष वादी तय की जाती है। वादी का दावा काबिले नहीं हो रहे है। तनकी नं० 2:— इस तनकी को सिद्ध	
	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड	

करने का भार वादीगण/वादी पर था। जैसा कि तनकी नं. 1 में निर्णय किया जा चुका है, कि वादग्रस्त भूमि पर वादी या तदुपरान्त उसके वारिसान आदि का स्वत्व प्रदर्शित होना प्रतीत नहीं होता।

वादग्रस्त भूमि पर वादी की हैसियत सह-खातेदार जैसी प्रतीत नहीं होती है। अतः वादी धारा 53 के अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

यह तनकी खिलाफ वादी तय की जाती है।

तनकी नं० 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जैसा कि तनकी नम्बर 1 व 2 में निर्णय किया जा चुका है, कि वादी न तो वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 108 रकबा 1.87 है. का खातेदार है, न वह किसान का ही हकदार है। वादी उक्त भूमि के इस में आसामी की हैसियत रखना प्रमाणित नहीं है।

अतः वादी को धारा 188 के अनुतोष का हकदार नहीं माना जा सकता। यह तनकी खिलाफ वादी तय की जाती है।

तनकी नं० 4:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति-वादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह मुकदमा तौर पर प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी के रकबा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नं. 105 व 107 के साथ खातेदारी में थी उन्हें वादी ने किसी अन्य को बेचान कर दी हो। वादी भी इस तथ्य से न तो इन्कार करता है, और न ही तथ्य प्रस्तुत किये।	
	वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-1 से प्रमाणित है, कि वादग्रस्त कृषि खसरा नं. 108 रकबा 1.89 है. भूमि प्रतिवादी के खातेदारी की थी और जब तक विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत न हो तब तक अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा माना जाता है। वादी का कब्जा प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी खातेदार दर्ज थे।	
	अतः यह तनकी अंशतः बहक प्रतिवादी० तय की जाती है।	
	तनकी नं० 5:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है।	
	तनकी नं० 6:- तनकी नम्बर 1 से 5 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वाद वादी अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है।	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की ... में आ...
	तदनुसार डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। (दशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंज मण्डी

व इजलास देशाल दान (J.A.S.)

भँवरलाल बनाम गौरीशंकर

दावा बाबत 88, 89, 53, 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 128 सन् 2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू देशाल दान (J.A.S.)

बहाजरी श्री हीरप्रकाश जोशी एड. मिनजानिब मुद्दई व श्री चेतन गुप्ता एड.

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी खारिज किया जाता है

बीज — मुबलिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 11 2020

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	-
मीजान....	—	-			

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. जो. 139-2006-1;00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी